न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 17/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रूपा राम पुत्र कस्तूरा राम जाति नायक निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।		1. कृष्ण लाल पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुलजारी लाल पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 3. जगदीश पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 4. भागीरथ पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 5. मामकौरी पुत्री बेगराज जाति नायक निवासी खोखरावाली तहसील अनूपगढ़। 6. मोहनलाल पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 7. हेतराम पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 8. हनुमान पुत्र बेगराज जाति नायक निवासी 8 एस किकरवाली तहसील श्रीकरणपुर। 9. अमरजीत पुत्री दर्शन सिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति रायसिख निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरणपुर। 10. जसविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति रायसिख निवासी गली नम्बर 2 लुहारों का मौहल्ला केसरीसिंहपुर। 11. मनजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति रायसिख निवासी गली नम्बर 2 लुहारों का मौहल्ला केसरीसिंहपुर। 12. सुखजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति रायसिख निवासी गली नम्बर 2 लुहारों का मौहल्ला केसरीसिंहपुर। 13. छिन्द्र सिंह पुत्र सौदागर सिंह जाति रायसिख निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 14. हरदेव सिंह पुत्र सौदागर सिंह जाति रायसिख निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 15. राजविन्द्र कौर पत्नी हरदेव सिंह जाति रायसिख निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 16. जेठी बाई पत्नी किस्तूरा राम जाति नायक निवासी चक 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 16/1. शांति बाई पुत्री किस्तूरा राम पत्नी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

	शोभा राम जाति नायक निवासी 38 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर। 16/2 किशनी बाई पुत्री किस्तूरा राम, पत्नी चुन्ना राम जाति नायक निवासी चुर्लवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16/3 लक्ष्मी पुत्री किस्तूरा राम पत्नी तेजा राम जाति नायक निवासी 44 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 17. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—09.07.2019

उपस्थित: 1.श्री अशोक कुमार जोशी, दुलीचन्द नायक अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सुधीर शर्मा, अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7, 3 अधिवक्ता
3. इन्द्रजीत सिंह अप्रार्थी संख्या 10 ता 15 अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांक :15.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 8 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.323 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 8 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 26 के मुरब्बा नम्बर 42 की 6.197 हैक्टेयर व खाता संख्या 83 के मुरब्बा नम्बर 45 की 6.323 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 28 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 और मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 ता 25 में नरमा, कपास, ग्वार आदि की फसल मौका पर काश्त कर रखी है जो सार संभाल के अभाव में नष्ट होने के कगार पर है। इसलिए प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2019 को उक्त रास्ता का इस्तेमाल करने हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया गया, परन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए श्रीमान् न्यायालय के समक्ष मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले डी.एल.सी प्रतिफल के रूप मे देने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 16 प्रार्थी की माता है, जिनकी मृत्यू हो चुकी है एंव उनकी मृत्यू के उपरांत उनके वारिसान के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थी काश्त करता है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है और पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद होना है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 एस के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 और मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 6 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आए व अप्रार्थी संख्या 10 ता 15 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 9, 16/1, 16/2, 16/3 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 6 ता 8, 10 ता 15 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन गलत है कि चक 8 एस के खाता संख्या 76 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 25 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो और ना ही ऐसा कोई भूमि का रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थी के नाम 5.311 हैक्टेयर भूमि व जेठी बाई के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जा में कौनसी भूमि दर्ज है, कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढत एंव रिकॉर्ड के खिलाफ माननीय न्यायालय को गुमराह करके सही रिकॉर्ड नहीं बताकर पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 28 में कौनसी भूमि पर कब्जा है, कहीं पर दर्ज नहीं किया गया है और कौनसे किले में रास्ता प्रवेश करेगा और ना ही मुरब्बा नम्बर 42 व 45 में कौनसी दिशा में और किस दिशा में रास्ता चाहा है, कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। क्योकि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर काश्त नहीं की जाती है। यह कहना गलत है कि प्रार्थी की भूमि को रास्ता ना हो। सही बात यह है कि मुरब्बा नम्बर 28 की पश्चिम दिशा में मुरब्बा नम्बर 27 की पश्चिम दिशा में चिपती पक्की ईंटो की रोड है और उक्त रोड से मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 5 या इसी मुरब्बा नम्बर के किला नम्बर 21 ता 25 में से मुरब्बा नम्बर 28 में आ जा सकते है। उक्त रास्ता के अलावा मुरब्बा नम्बर 28 की पूर्वी दिशा में मुरब्बा नम्बर 29 के पास मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में उतर से दक्षिण सरकारी रास्ता है। उक्त रास्ता से मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 25,24,23,22,21 में होकर अपने मुरब्बा नम्बर 28 में आ सकता है। उक्त दोनों रास्तो की दूरी सिर्फ एक मुरब्बा है। कानूनन अगर भूमि के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कल्याणपुर

फिर विकल्प में अन्य रास्ता उपलब्ध हो और जो सबसे नजदीक हो और उसी रास्ता से पिछले समय से आ जा रहे है तो उसी रास्ते को मंजूर किया जाना चाहिए. ना कि सुविधा के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। पूर्व एंव पश्चिम में दोनों तरफ एक मुरब्बा दूरी पर सरकारी रास्ते उपलब्ध है, जो सबसे नजदीक है एंव प्रार्थी इसी रास्ता से आ जा रहा है, इसलिए प्रार्थी अन्य रास्ता मंजूर करवाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि पहले वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है। प्रार्थी का प्रार्थन पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पंत्राक 942 दिनांक 30.09.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर प्रार्थी द्वारा एतराज जाहिर करते हुए, पुनः रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पंत्राक 942 दिनांक 30.09.2019 व पंत्राक 249 दिनांक 20.03.2020 के साथ मूल रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक धनूर, फर्द मौका मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 8 एस के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 29, 42, 45 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पड़ोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण खातेदार की जोत में से होकर पहुंचने के अलावा अन्य विकल्प भी उपलब्ध है जो कि चाहे गए रास्ते से निकटतम दूरी पर है। अन्य विकल्प में मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 ता 25 मे से होकर अपने मुरब्बा 28 में पहुच सकता है। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 5 या किला नम्बर 21 ता 25 में से होकर प्रार्थी अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 28 में पहुच सकता है। दिनांक 19.03.2020 को मौका पर मनजीत सिंह, छिन्द्र सिंह, गुरदेव सिंह, हनुमान उपस्थित मिले, इन्होनें पर्चा मौका पर हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता चाहा गया है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी चक 8 एस की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 76/76 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि में से 5.311 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक 3 रास्ते मौजूद है, जो प्रस्तावित रास्ते से निकटतम दूरी पर है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रार्थी को मु.न. 29 के किला न. 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 21 ता 25 व किला नम्बर 1 ता 5 में से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है। जिन्हे प्रार्थी पक्षकार बनाकर अपना नया प्रार्थना पत्र पेश कर चाराजोही कर सकता है। जो चाहे गए रास्ते की तुलना में निकटतम दूरी पर है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान